

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 09/23

दायरा दिनांक 18.12.2023

मैमर्स गुंजारी कृषि केन्द्र रजिस्टर्ड कार्यालय डिग्गी हाउस सी स्कीम जयपुर जयें
भागीदार गिरवरसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरद तहसील लाडनू
जिला नागौर राज. - अपीलान्त

-: बनाम :-

1. ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग जयें सरपंच ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

- रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग नामान्तरकरण संख्या 255 ग्राम
गुंजारी डांग दिनांक 14.12.2011

निर्णय-दिनांक 27.05.2024

उपस्थित- अपीलाण्ट की ओर से - श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

रेस्पों. की ओर से - एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि ग्राम गुंजारी पटवार हल्का बीलखेडाडांग तहसील शाहावाद में अपीलान्त के खाते की भूमि खाता संख्या 99 ख.नं. 545 रकबा 0.09 बीघा हिस्सा 1/4 को अपीलान्त ने खातेदार लक्ष्मणलाल पुत्र रतनलाल रघुवीर पुत्र रतनलाल बत्तीबाई पुत्री रतनलाल किराड निवासी औगाड तहसील शाहावाद से दिनांक 01.07.2011 को रजिस्टर्ड कय कर कब्जा व मालिकाना हक प्राप्त किया है और तभी से अपीलान्त का कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजी का नामान्तरण दर्ज कराने बावत प्रार्थनापत्र अपीलान्त ने रेस्पों. के समक्ष पेश किया तो रेस्पों. ने मूल दस्तावेज के अभाव में नामान्तरकरण खारिज कर दिया। प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलान्त व्यवसाय हेतु जयपुर चला गया, इस कारण अपीलान्त को नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हुई। अपीलान्त ने रजिस्टर्ड बेचान नामे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर रेस्पों. सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया और नामान्तरकरण विधि विरुद्ध खारिज फरमा दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 255 ग्राम गुंजारी पटवार हल्का बीलखेडाडांग को अपीलाण्ट के हक में स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्त के हक में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोंडेन्टस के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई। अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्त की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि उसने ग्राम गुंजारी तहसील शाहावाद की आराजी ख.नं. 545 रकबा 0.09 बीघा हिस्सा 1/4 को खातेदार लक्ष्मणलाल पुत्र रतनलाल रघुवीर पुत्र रतनलाल बत्तीबाई पुत्री रतनलाल किराड निवासी औगाड तहसील शाहावाद से दिनांक 01.07.2011 को रजिस्टर्ड कय कर कब्जा व मालिकाना हक प्राप्त किया है

27.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

और तभी से अपीलान्ट का कब्जा काशत रहा है। विक्रयपत्र दिनांक 01.07.2011 की प्रति रिकार्ड पर उपलब्ध है, प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण नंबर 255 विक्रयपत्र दिनांक 01.07.2011 के आधार पर ही भरा गया है, जिसे मात्र मूल दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बाद जांच विक्रयपत्र दिनांक 01.07.2011 के आधार पर अपीलान्ट की कयशुदा भूमि ख.नं. 545 रकबा 0.09 बीघा हिस्सा 1/4 ग्राम गुंजारी तहसील शाहावाद का विधिवत नामान्तरण अपीलान्ट के हक में दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

27.05.2024
उपरखण्ड अधिकारी
शाहावाद

